



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30042024-253956

CG-DL-E-30042024-253956

xxxGIDHxxx

xxxGIDExxx

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1769]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 29, 2024/ वैशाख 9, 1946

No. 1769]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 29, 2024/ VAISAKHA 9, 1946

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2024

का.आ. 1861(अ).—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि महाराष्ट्र राज्य के सोलापूर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 166 के कि.मी. 248.600 से कि.मी. 331.200 तक के भू-खण्ड (सांगली सोलापूर सेक्शन) के निर्माण चार लेन का बनाने, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उपविभागीय अधिकारी, मंगलवेदा को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात्, तथा ऐसी और जांच करने के

पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा;

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांकन और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवध्द व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्रं. 166 के (सांगली सोलापूर सेक्शन) कि.मी. 248.600 से कि.मी. 331.200 के लिए अर्जन की जानेवाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: सोलापूर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: सांगोला					
गांव का नाम: वाडेगांव					
1	518 Pt.	निजी	शुष्क + नम	0.0079 (हेक्टेयर)	0.0079
2	519 Pt.	निजी	शुष्क + नम	1.3167 (हेक्टेयर)	1.3167
3	521 Pt.	निजी	शुष्क	0.7378 (हेक्टेयर)	0.7378
4	522 Pt.	निजी	शुष्क + नम	0.6484 (हेक्टेयर)	0.6484
Total					2.7108

[फा. सं. NHAI/PIU/SLP/LA/23011/1/13/3A]

अभय जैन, उप-सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th April, 2024

S.O. 1861(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building four-laning, maintenance, management and operation of National Highway No. 166 in the stretch of land from Km. 248.600 to Km. 331.200 for (Sangli Solapur Section) in District Solapur in the State of Maharashtra, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, the Sub-Divisional Officer, Mangalwada in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 248.600 to Km. 331.200 (Sangli - Solapur section) of NH No - 166 in the State of Maharashtra

State: MAHARASHTRA			District: SOLAPUR		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Sangola					
Village: Wadegaon					
1	518 Pt.	Private	Dry + Wet	0.0079 (Hectare)	0.0079
2	519 Pt.	Private	Dry + Wet	1.3167 (Hectare)	1.3167
3	521 Pt.	Private	Dry	0.7378 (Hectare)	0.7378
4	522 Pt.	Private	Dry + Wet	0.6484 (Hectare)	0.6484
Total					2.7108

[F. No. NHAI/PIU/SLP/LA/23011/1/13/3A]
ABHAY JAIN, Deputy Secy.